उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, इलाहाबाद

फोन नं0– 2411855, 2423698, फैक्स 0532–2423720

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद गौतम बुद्ध नगर में दिनांक 14 से 19 जनवरी, 2020 तक आयोजित कार्यक्रम **'अतुल्य भारत'** में मंच सजावट एवं कलात्मक द्वार बनाये जाने हेतु अनुभवी कलाकारों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczccindia.in से दिनांक 07 से 09 जनवरी, 2020 तक डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 500/– जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के नाम ड्राफ्ट के रूप में **निविदा प्रपत्रों के साथ ही संलग्न करना होगा। निविदा 09.01.2020 को उप केन्द्र कार्यालय, तृतीय तल, बी–विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली (011–23318016) में अपराह्न 2:00 बजे तक जमा की जायेगी।** प्राप्त सभी निविदाओं को 09.01.2020 को सायं 3:00 बजे तक केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निविदा फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने का समय
1.	मंचीय सजावट तथा कलात्मक गेट बनाने का कार्य	(1) दिनांक 09.01.2020 तक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।	09.01.2020 को सायं 3:00 बजे तक

निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर...

निविदा की शर्तें

1. प्रत्येक मद की एकमुश्त दरें प्रस्तुत करनी होंगी, जिसमें निविदादाता के द्वारा कलात्मक डिजाइन एवं उसमें प्रयोग किये जाने वाले सभी सामान तथा मजदूरी का व्यय सामिल होगा। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात लगाई गई सभी सामग्री केन्द्र की सम्पत्ति होगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. सामानों के कार्य स्थल तक ले आने से जाने, एवं निर्देशित स्थान पर लगाने का व्यय, सामानों के बदलने एवं पुनः लगाने का व्यय दरों में ही सम्मिलित होगा।
5. सामानों की आपूर्ति कार्यक्रम स्थल शिल्प हाट, नोएडा, सेक्टर–33 में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/लगाने का व्यय भी सम्मिलित होगा।
6. सामानों की आपूर्ति में सभी तरह की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित होगी परंतु Act of God जैसे दंगा, अग्निकांड, वर्षा आदि से हुई क्षति उक्त प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी।
7. निर्धारित समय पर ठेकेदार द्वारा सामानों की आपूर्ति न किये जानें पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
8. कार्यस्थल पर उपयोग किये जाने वाले सामानों के रख रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। टूट–फूट के लिये या उपयोग के दौरान किसी सामान के खराब होने के कारण किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा देय नहीं होगी।
9. सामान्यतया सामानों की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को पर्याप्त समय दिया जायेगा। परन्तु आकस्मिक मांग होने पर सामानों की आपूर्ति तद्नुसार करनी होगी।
10. सम्पूर्ण निर्माण कार्य एवं सामानों की आपूर्ति कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पूर्व अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ण करनी होगी।
11. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जाय।
12. कोई भी निविदा बिना रू0 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) की धरोहर धनराशि (Earnest money) के स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा अग्रिम धन की राशि नकद/डाक बचत, पासबुक/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में (निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के पक्ष में जमा) करनी होगी।
13. निविदादाता को अपनी डिजाइन प्रस्तुत करनी होगी।
14. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के

निविदादाता के हस्ताक्षर...

हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा।

15. कार्यस्थल पर निर्माण की माप–जोख (भौतिक सत्यापन) केन्द्र अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाने तक ठेकेदार निर्माण कार्य न तो हटायेगा और न ही इसमें परिवर्तन करेगा।

16. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार को किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेन्स दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति हेतु स्वयं परिवहन की व्यवस्था करनी होगी, यदि कोई कर देय है तो वह ठेकेदार द्वारा ही देय होगा।

18. स्त्रोत पर कर–कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी।

19. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन, जी.एस.टी. पंजीकृरण प्रमाण पत्र भी संलग्न करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

20. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेण्डर के विरूद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।

21. नियम, शर्त एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़ कर समझ ली हैं और वह उनसे पूर्णतया सहमत हैं।

22. उपरोक्त सभी शर्तों के साथ ठेकेदार/निविदादाता को यह **आवश्यक निर्देश** दिया जाता है कि प्रत्येक कालम में प्रत्येक आइटम पर अपनी दरें स्पष्ट रूप से भरें तथा तथा टैक्स का भी उल्लेख करें। किसी भी प्रकार से पिछले वर्षों की या पुराने टेण्डरों के सापेक्ष किसी भी दर का सम्बन्ध करके प्रतिशत के माध्यम से दरों का उल्लेख मान्य नहीं होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर...

घोषणा

मैं/हम...पुत्रश्री...फर्म...................................

पता.. यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है। मैं/हम..पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

मो0नं0–

टिन नं0–

पैनकार्ड नं0–

टैक्स नं0–

निविदादाता के हस्ताक्षर..

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

14, सी0एस0पी0सिंह मार्ग, इलाहाबाद

अतुल्य भारत, नोएडा सेक्ट–33 में मंच एवं द्वार सजावट कार्य

क्र0सं0	सामानों की मात्रा एवं संख्या	दर			
		अंकों में		शब्दों में	
		रु0	पै0	रु0	पै0
1	2	4	5	6	7
1.	(ए) मंच पर 45×16 का 3डी सेट जो कलात्मक रूप से भव्य सेट के रूप में दिखाई दे। जिसकी ऊँचाई कम से कम 16 से 20 फुट हो। मंच के दोनों ओर 4×12 की चार–चार विंग्स। (बी) मंच के सामने की ऊँचाई को मंच के अनुसार कलात्मक रूप से सजावट का आकार देना होगा।				
2.	40×16 का कलात्मक मुख्य प्रवेश द्वार				

दिनांक: ( )

निविदादाता के फर्म का नाम एवं पता

निविदादाता के हस्ताक्षर..